UPAL010059442026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2744/2026

सचिन पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी देवसैनी मोड क्वार्सी थाना क्वार्सी जिला अलीगढ़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–407/2026
अन्तर्गत धारा– 109(1),3(5) बी0एन0एस0
व 3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना–क्वार्सी, जिला अलीगढ

दिनांक 08.06.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सचिन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–407/2026 अन्तर्गत धारा– 109(1),3(5) बी0एन0एस0 व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना–क्वार्सी, जिला अलीगढ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि आज दिनांक 15.05.2026 को मैं उ0नि0 राजकुमार तोमर मय उ0नि0 श्री अनमोल सिंह व उ0नि0 श्री विशाल शर्मा के थाना हाजा से वहवाले रपट नं0–4 समय 00.39 बजे रवाना होकर सर्वप्रथम क्वार्सी चौराहे पर पहुँचे व हस्व तलब लैपर्ड मोबाइल 6 (2) के पुलिस कर्मचारी है० का0 315 अवेव कुमार व का0 3010 नितिन कुमार व लैपर्ड मोबाइल 6 (5) के पुलिस कर्मचारी का0 2246 अजय कुमार को साथ लेकर अपनी मोटरसाइकिलों से देख रेख शान्ति व्यवस्था, चौकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन व रोकथाम जुर्म जरायम अन्दर थाना क्षेत्र मामूर थे कि जब हम पुलिस वाले गश्त करते हुए डीपीएस स्कूल रामघाट रोड की तरफ से वापस लौटते हुए हुए ग्राम देवसैनी में नाला रोड से अंदर जा रहे थे तो जैसे ही हम पुलिस वाले रजा नगर की पुलिया से कुछ आगे पहुँचे तो दाहिनी तरफ एक खाली पड़े बालू के प्लाट के पास दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखाई दिये जिन्हे हम पुलिस वालों द्वारा रुक कर टोका गया तो अचानक उनमें से एक व्यक्ति दूसरे से चिल्लाकर बोला कि आ गये सरकारी नौकर चला गोली तभी दूसरे व्यक्ति ने हम पुलिस वालो पर जान से मारने की नीयत से असलहे से सीधा फायर किया तो हम पुलिस वाले सिखलाये हुए तरीके से बैठकर झुककर बाल बाल बच गये तभी पहला व्यक्ति अपने असलहे को लोड करने लगा तो हम पुलिस वालो ने फुर्ती दिखाते हुए दूसरा फायर करने का मौका न देते हुए दौडकर घेरकर दोनो व्यक्तियों को को मौके पर ही समय प्रातः करीब 03.00 बजे पकड लिया नाम पता पूछकर जामा तलाशी ली गई तो हम पुलिस वालो पर फायर करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम सचिन पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी देवसैनी मोड थाना क्वार्सी अलीगढ उम्र करीब 23 वर्ष बताया जामा तलाशी में इसके दाहिने हाथ से पकडे हुए एक नाजायज देशी तमंचा 315 बोर व दाहिनी जेब से एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बसमद हुआ तमंचा व कारतूस का विवरण इस प्रकार

है कि तमंचा चालू हालत में है तमंचे को खोल कर देखा तो नाल चौंबर से 315 बोर का खोखा कारतूस फंसा है जिसे बाहर निकाला गया तमंचे की नाल लोहे की व शेष भाग पीतल का है तंमचे की लम्बाई करीब 01 बालिस्त है नाल की लम्बाई करीब 06 अंगुल है बाडी की लम्बाई करीब 04 अंगुल है तथा बट की लम्बाई करीब 03 अंगुल है बाड़ी के बायी तरफ पीतल का पत्तीनुमा लीवर लगा है जिसे नीचे दबाने पर तमंचा खुल जाता है बाडी के नीचे ट्रिगर व ट्रिगर गार्ड लगा है तथा ऊपर हैमर लगा है बट के दोनो तरफ लकडी की चापें स्क्रू से कसी है तमंचा चालू हालत में है है बट के नीचे पीतल का गोल टुकडा लगा है – कारतूस के पैदे पर ज्ञथ 8डड लिखा है इसने बताया कि अभी इसी तमंचे से मैंने आप लोगो पर फायर किया था दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम इमाम पुत्र महमूद निवासी गली नं0–4 शहंशाहबाद थाना क्वार्सी अलीगढ उम्म्र करीब 22 वर्ष बताया जामा तलाशी तलाशी में इसके दाहिने हाथ से पकडे हुए एक देशी नाजायज तमन्चा 315 बोर बरामद हुआ जिसे खोल कर चौक किया तो नाल चौम्बर में 315 बोर का जिन्दा कारतूस फंसा हुआ है जिसे सुरक्षा की दृष्टि से नाल चौम्बर से बाहर निकाला गया बरामद शुदा तमन्चा एवं कारतूस का विवरण इस प्रकार है तमन्चा पूरा लोहे का है जिसकी लम्बाई करीब 01 बालिस्त है नाल की लम्बाई करीब 06 अंगुल है बाडी है बाडी की लम्बाई करीब 04 अंगुल है तथा बट की लम्बाई करीब 03 अंगुल है बाड़ी के बायी तरफ स्प्रिंग के साथ पुश बटन लगा है जिसे दबाने से तमन्चा खुल जाता है बाडी के नीचे ट्रिगर व ट्रिगर गार्ड लगा है तथा ऊपर हैमर लगा है बट के दोनो तरफ लोहे की चापें रिपिड से जड़ी है तमंचा चालू हालत में है जिन्दा कारतूस 315 बोर के पैदे पर ज्ञथ 8डड लिखा है पूछताछ पर दोनो अभियुक्तों ने एक स्वर में बताया कि हम लोग आज यहाँ चोरी करने के लिये आये थे एक घर में घुसे भी थे लेकिन अचानक एक महिला ने शोर मचा दिया तो वहाँ से भाग आये थे यहाँ खड़े होकर योजना बना रहे थे कि कौन से घर में आसानी से घुसकर चोरी की जा सकती है पकडे जाने के डर से आप लोगो पर तमन्चे से फायर कर दिया था

प्रार्थी/अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस ने झूॅठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है। प्रार्थी अपने निजी काम से बाहर जा रहा था पुलिस ने 14.05.2026 को समय करीब सांय सात बजे पकड लिया तथा उक्त वाद में झूॅठा फंसा दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार किसी भी तरह का रोल नहीं है। प्रार्थी के कब्जे से किसी तरह की कोई भी अवैध सामग्री बरामद नहीं हुई है। बरामदगी के समय कोई भी जनता का गवाह नहीं था न ही प्रार्थी मौके पर मौजूद था। उक्त वाद में किसी भी तरह की कोई चोट नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है न ही वह पूर्व सजायाफता है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया है।

सुना तथा केस डायरी व उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी व अन्य पुलिस कर्मचारीगण पर जान से मारने की नीयत से फायर करने व तमंचा बरामद होने का आरोप है।

प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। मामले में विवेचना चल रही है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त चोटों के सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय आख्या भी सी0डी0 प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी है और न किसी को चोट आने का कथन किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई सजायावी होने का कथन नही किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का प्रश्न है तो अभियुक्त पर जो मुकदमे दर्ज हैं उसमें अभियुक्त दोषसिद्ध नहीं किया है और न ही आपराधिक इतिहास बेल निरस्त करने का आधार है।

अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना मेरे विचार से इस स्तर पर अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सचिन द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उसके द्वारा 50,000/–रूपये का निजी मुचलका व इसी राशि का एक प्रतिभू व इस शर्त के साथ प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड दिया जावे कि–

1. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार का अथवा अन्य कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. मामले की विवेचना में सहयोग करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को डरायेंगे धमकायेंगे नहीं तथा विचारण न्यायालय में साक्ष्य की तिथियों पर साक्षीगण के न्यायालय में उपस्थित रहने पर साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करेंगे एवं स्थगन की मांग नहीं करेंगे।
4. प्रार्थी/अभियुक्त व जामिनदारान, बन्धपत्रों व प्रतिभू में अपने मोबाईल नम्बर तथा स्थाई व वर्तमान पते अंकित करेंगे एवं पते के सम्बन्ध में दस्तावेज आधार कार्ड आदि की प्रति प्रस्तुत करेंगे। यदि दिये गये पतों व मोबाईल नम्बर में कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना न्यायालय को देंगे तथा यदि अभियुक्त कार्य के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तित स्थान की भी सूचना देंगे।

5. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान आरोप विरचित करने और बयान अं0धारा 313 द0प्र0स0 हेतु नियत तिथि पर बिना विलम्ब किये व्यक्तिगण रूप से उपस्थित आता रहेगा और न्यायालय में प्रस्तुत साक्षियों की प्रतिपरीक्षा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बिना विलम्ब कारित किये अवरोध नहीं किया जा सकेगा। अन्यथा विशेष परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उत्पीड़क कार्यवाही की जा सकेगी।

कार्यालय अहलमद/लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO(क्रिमिनल) संख्या–4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक संख्या 448/SLSA–06/2021 दिनांकित 13.02.2023 के सन्दर्भ में आदेश की प्रति सम्बन्धित जेल अधीक्षक कारागार को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e-prison software में करें।

दिनांक–08.06.2026

(राकेश वशिष्ठ)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट, अलीगढ़।
UP 6270

Digitally signed by RAKESH VASHISHT
Date: 2026.06.09 11:15:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court